

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर-:

कार्यालय आदेश:-

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी(युप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No.F6(6) FD/ Rules/2010 Dated 25-04-12 के प्रावधानुसार राजकीय सआदत चिकित्सालय टोंक के मेडिकल बोर्ड की अभिशंषा तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक की अभिशंषा पर श्री कालूराम माली अध्यापक,राउप्रावि, अरनिया उर्फ सवाई रामसिंहपुरा ग्रा.प. झाडली मालपुरा टोंक को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक 23.04.2019 से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरें रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

श्री कालूराम माली अध्यापक को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालिन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

आज्ञा से
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,विभाग एवं
पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा)
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/1053/वि.भत्ता/अजमेर मण्डल/19/ दिनांक-24/04/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, टोंक को रजिस्टर्ड डाक से सलग्न मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित।
2. श्री कालूराम माली अध्यापक,राउप्रावि, अरनिया उर्फ सवाई रामसिंहपुरा ग्रा.प. झाडली मालपुरा टोंक।
3. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर